



संख्या : /जी०ए०(शिक्षा) / A11-181 / 2021

प्रेषक,

डॉ रंजीत कुमार सिन्हा

कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

महोदय,

देहरादून : दिनांक 24 जून, 2022

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 80 / SDSUV/Aff/2020-21 दिनांक 29-09-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलसचिव द्वारा हिन्द वैली इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, मुस्तफाबाद, पदार्थ, लक्सर रोड, हरिद्वार को बी०ए०, बी०कॉ०५०, बी०सी०ए०, बी०बी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2— शैक्षिक सत्र 2020-21 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उसके नाम के समुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मात्र कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :—

क्र० सं०	महाविद्यालय / संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	हिन्द वैली इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, मुस्तफाबाद, पदार्थ, लक्सर रोड, हरिद्वार	1. बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र) 2. बी०कॉ०५० 3. बी०बी०ए० 4. बी०सी०ए०	60 सीट (प्रति विषय) 60 सीट 60 सीट 60 सीट	2020-21

- (i) निरीक्षण मण्डल की आख्या / कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यूजी०सी० के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में अस्थायी सम्बद्धता आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मात्र कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।
- (ii) संस्थान यूजी०सी० विनियम-2009 के 3.4.7 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार सम्बद्धता प्राप्ति के तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय से फैकल्टी का अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (iii) अग्रेतर सत्रों के प्रस्ताव सत्र दर सत्र के आधार पर ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होगें। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ रंजीत कुमार सिन्हा)

कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1143 (1) / जी०ए०(शिक्षा) / A11-181 / 2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, हिन्द वैली इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी, मुस्तफाबाद, पदार्थ, लक्सर रोड, हरिद्वार।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(स्वाति एस० भद्रीरिया)

कुलाधिपति के अपर सचिव।